संख्या–2873/सेक–2–पांच–13–7(214)/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार द्विवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

2– महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0।

4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2013**

विषयः–नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिलाओं के बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं। इधर हाल में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या कर दिये जाने की घटनाएं समाज एवं शासन के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई हें। महिलाओं एवं अवयस्क बच्चियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़िता को न्याय दिलाए जाने की प्रकिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से **'दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'** लागू किया गया है जिसके माध्यम से भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्राविधानों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों व बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी व यौन दुराचार के मामले में दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलाये जाते हुए भारत सरकार द्वारा पास्को अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) पारित किया गया है। इन नृसंश अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सम्भावित असुरक्षित नाबालिग लड़कियों के अभिभावकों को उनके आसपास मंडराते खतरों से सावधान किया जाए तथा पुलिस प्रशासन के प्रयासों में उनकी सकिय सहभागिता प्राप्त की जाए। इन घटनाओं को रोके जाने हेतु गृह विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–265/छः–पु0–15–2013 दिनांक 08 जुलाई, 2013 में निर्देश जारी किये गये हैं। (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है)

2– गृह विभाग द्वारा जारी किये गये उक्त निर्देश के बिन्दु संख्या–2 में मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर भी कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। इसी तरह बिन्दु

संख्या–10 में चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में 08 बिन्दु, जो निम्नवत हैं, पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

1. महिला पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण महिला डाक्टर द्वारा किया जाय।
2. चिकित्सकीय परीक्षण के पूर्व यथासंभव मनोचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई जाय।
3. चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट सावधानी से तत्परतापूर्वक तैयार की जाय और डाक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित करके उसकी एक प्रति अभिभावक/संरक्षक को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
4. परीक्षण रिपोर्ट में देरी की संभावना हो तो उसका उल्लेख किया जाय।
5. चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभिभावक/संरक्षक और पीड़िता का जिस व्यक्ति पर भरोसा हो उसे उपस्थित रहने दिया जाय।
6. यदि आवश्यक हो तो आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध करायी जाय।
7. यौन प्रसारित बीमारियों (STD) की रोकथाम के लिए तत्काल रोग निरोधक इलाज दिया जायेगा।
8. यदि कोई पीड़िता प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम में लाई जाती है तो उसका तत्काल इलाज किया जायेगा और नजदीकी थाना को सूचित किया जायेगा।

3– कृपया शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों से सभी सम्बन्धित को अवगत करायें तथा उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सचिव।

2873
संख्या– (1)/सेक–2–पांच–13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (श्री शंखलाल माझी/श्री नितिन अग्रवाल), चिकि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
(3) गृह (पुलिस) अनुभाग–15 को उनके उपरिलिखित पत्र के सन्दर्भ में।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मधु जोशी

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।